## Rule 33 : Value of supply of services in case of pure agent

Notwithstanding anything contained in the provisions of this Chapter, the expenditure or costs incurred by a supplier as a pure agent of the recipient of supply shall be excluded from the value of supply, if all the following conditions are satisfied, namely:-
(i) the supplier acts as a pure agent of the recipient of the supply, when he makes payment to the third party on authorization by such recipient;
(ii) the payment made by the pure agent on behalf of the recipient of supply has been separately indicated in the invoice issued by the pure agent to the recipient of service; and
(iii) the supplies procured by the pure agent from the third party as a pure agent of the recipient of supply are in addition to the services he supplies on his own account.
Explanation- For the purposes of this rule, "pure agent" means a person who -
(a) enters into a contractual agreement with the recipient of supply to act as his pure agent to incur expenditure or costs in the course of supply of goods or services or both;
(b) neither intends to hold nor holds any title to the goods or services or both so procured or supplied as pure agent of the recipient of supply;
(c) does not use for his own interest such goods or services so procured; and
(d) receives only the actual amount incurred to procure such goods or services in addition to the amount received for supply he provides on his own account.
Illustration: Corporate services firm A is engaged to handle the legal work pertaining to the incorporation of Company B. Other than its service fees, A also recovers from $B$, registration fee and approval fee for the name of the company paid to Registrar of the Companies. The fees charged by the Registrar of the Companies for the registration and approval of the name are compulsorily levied on B. A is merely acting as a pure agent in the payment of those fees. Therefore, A's recovery of such expenses is a disbursement and not part of the value of supply made by A to B.

## नियम 33: केवल अभिकर्ता की दशा में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य

इस अध्याय के उपबंधों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी किसी प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में उपगत व्यय या लागत को प्रदाय के मूल्य से अपवर्जित कर दिया जाएगा, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :
(i) प्रदायकर्ता, तब प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, जब वह ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा दिए गए प्राधिकार पर तीसरे पक्षकार को संदाय करता है;
(ii) प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की ओर से केवल अभिकर्ता द्वारा किए गए संदाय को सेवा के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता द्वारा जारी बीजक में पृथकतया उपदर्शित किया गया है; और
(iii) केवल अभिकर्ता द्वारा तीसरे पक्षकार से उपाप्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में की गई प्रदाय, उन सेवाओं के अतिरिक्त है, जिनकी प्रदाय वह अपने स्वयं के खाते से करता है।
स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए "केवल अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो-
(क) माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के दौरान व्यय या लागत उपगत करने के लिए प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उसके साथ संविदात्मक करार करता है;
(ख) प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में इस प्रकार उपाप्त या प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों का कोई भी शीर्षक न तो धारण करने का आशय रखता है, न धारण करता है;
(ग) इस प्रकार उपाप्त ऐसे माल या सेवाओं का अपने स्वयं के लिए उपयोग नहीं करता है; और
(घ) ऐसी प्रदाय के लिए प्राप्त रकम के अतिरिक्त, जो वह अपने स्वयं के लेखे उपलब्ध कराता है, ऐसे माल या सेवाएं उपाप्त करने के लिए उपगत केवल वास्तविक रकम ही प्राप्त करता है।

दृष्टांत : कॉरपोरेट सेवाएं फर्म क, कंपनी ख के निगमन से संबंधित विधिक कार्य को करने में लगी हुई है। क, ख से उसकी सेवा के लिए फीस से भिन्न, कंपनी रजिस्ट्रार को संदत्त कंपनी के नाम के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस और अनुमोदन फीस भी वसूल करता है, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा नाम के रजिस्ट्रीकरण और अनुमोदन के लिए प्रभारित फीस अनिवार्य रूप से ख पर उद्ग्रहीत है। क, उन फीसों के संदाय में मात्र केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है इसलिए क के ऐसे व्ययों की वसूली एक संवितरण है और क द्वारा ख को की गई प्रदाय के मूल्य का भाग नहीं है।

